राजस्थान सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
जी 3/1, अम्बेडकर भवन, सिविल लाईन रेल्वे क्रॉसिंग के पास, जयपुर

क्रमांक :एफ 7 (1) (7)/राछा/सान्याअवि/14/ 20426 जयपुर, दिनांक 7/05/2015

आदेश

राजकीय एवं अनुदानित छात्रावास संचालन नियम 2012 के नियम 5 एवं 6 के अन्तर्गत राजकीय एवं अनुदानित छात्रावासों में प्रवेश हेतु आरक्षण का प्रावधान एवं छात्रावास में प्रवेश के लिए चयन की प्रक्रिया एवं पात्रता में संशोधन/परिवर्तन करते हुए दिनांक 5.5.2015 से ऑनलाईन आवेदन किए जाने की स्वीकृति एतद् द्वारा प्रदान की जाती है :—

नियम (5) राजकीय एवं अनुदानित छात्रावासों में प्रवेश हेतु आरक्षण का प्रावधान

2. छात्रावास में आरक्षण की स्थिति

क्र.सं.	छात्रावास का वर्गीकरण	प्रवेश में आरक्षण का निर्धारित प्रतिशत
1	अनुसूचित जाति वर्ग	• 60% अनुसूचित जाति मय स्वच्छकार (स्वच्छकारों को प्राथमिकता) • 10% अनुसूचित जनजाति • 15% अन्य पिछडा वर्ग एवं विशेष पिछडा वर्ग • 15% आर्थिक पिछडा वर्ग
2	अनुसूचित जनजाति वर्ग	• 60% अनुसूचित जनजाति • 10% अनुसूचित जाति • 15% अन्य पिछडा वर्ग एवं विशेष पिछडा वर्ग • 15% आर्थिक पिछडा वर्ग
3	अन्य पिछडा वर्ग	• 60% अन्य पिछडा वर्ग एवं विशेष पिछडा वर्ग • 15% अनुसूचित जाति • 10% अनुसूचित जनजाति • 15% आर्थिक पिछडा वर्ग
4	स्वच्छकार वर्ग	• 60% अनुसूचित जाति मय स्वच्छकार (स्वच्छकारों को प्राथमिकता) • 10% अनुसूचित जनजाति • 15% अन्य पिछडा वर्ग एवं विशेष पिछडा वर्ग • 15% आर्थिक पिछडा वर्ग
5	देवनारायण छात्रावास	• 60% विशेष पिछडा वर्ग • 15% अन्य पिछडा वर्ग • 10% अनुसूचित जाति • 5% अनुसूचित जनजाति • 10% आर्थिक पिछडा वर्ग

नियम (6) छात्रावासों में प्रवेश के लिए चयन की प्रक्रिया एवं निर्धारित समयावधि

क्र. सं.	निर्धारित समयावधि	प्रवेश हेतु वरीयता अनुक्रम	पात्रता / वि.विवरण
1	प्रतिवर्ष 25 जून तक	1. पूर्व से आवासरत बालक–बालिका 2. अनाथ बालक / बालिका 3. विधवा / परित्यक्ता स्वयं 4. विशेष योग्यजन स्वयं 5. विधवा / परित्यक्ता के बालक–बालिका 6. विशेष योग्यजन परिवार के बालक–बालिका 7. बी.पी.एल. परिवार के बालक–बालिका 8. 2.50 लाख वार्षिक आय सीमा वाले परिवार के बालक–बालिका	50 प्रतिशत या अधिक प्राप्तांक वाले बालक–बालिका गत वर्ष के प्राप्तांको की अवरोही (Descending) वरीयतानुसार
2	प्रतिवर्ष 5 जुलाई तक	9. पूर्व से आवासरत बालक–बालिका 10. 2.50 लाख वार्षिक आय सीमा वाले परिवार के बालक–बालिका	50 प्रतिशत से कम प्राप्तांक, गत वर्ष के प्राप्तांको की अवरोही (Descending) वरीयतानुसार
3	प्रतिवर्ष 15 जुलाई तक	11. किसी भी श्रेणी के 2.50 लाख वार्षिक आयसीमा वाले परिवार के बालक–बालिका	गत वर्ष के प्राप्तांको की अवरोही (Descending) वरीयतानुसार
4	प्रतिवर्ष 15 जुलाई के उपरान्त	12. आवेदन पत्र प्राप्त होने के क्रमानुसार	रिक्त स्थान उपलब्ध होने पर बालक– बालिका के आवेदन पत्र प्राप्त होने के क्रमानुसार

- शैक्षणिक सत्र 2015–16 से छात्रावासों में प्रवेश हेतु प्रतिवर्ष 10 मई से ऑन लाईन आवेदन पत्र *sjms.rajasthan.gov.in* पोर्टल पर आमंत्रित किए जावेंगे।
- छात्रावासों में आवासित विद्यार्थियों को भी प्रवेश हेतु प्रतिवर्ष ई–मित्र, कियोस्क, साइबर कैफे, निजी इंटरनेट आदि के माध्यम से ऑन लाईन आवेदन करना अनिवार्य होगा।
- ऑन लाईन आवेदन पत्र पेपरलेस होंगे।
- आवेदक द्वारा आवेदन पत्र के साथ वांछित स्वप्रमाणित दस्तावेज स्कैन कर अपलोड किए जावेंगे।

उक्त आदेश तुरन्त प्रभाव से लागू होंगे।

(अम्बरीष कुमार)
निदेशक

क्रमांक :एफ 7 (1) (7)/राछा/सान्याअवि/14/ 23427-540 जयपुर, दिनांक 7/05/2015

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री महोदय, सामाजिक न्याय एवं अधि. विभाग, राजस्थान जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सामा. न्याय एवं अधि. विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
3. निजी सचिव, निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग राजस्थान जयपुर।
4. निजी सहायक, अतिरिक्त निदेशक, (अनु.जाति एवं जनजाति कल्याण), सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग एवं प्रभारी अधिकारी, मुख्यावास।
5. वित्तीय सलाहकार, मुख्यावास।
6. संयुक्त निदेशक (देवनारायण), मुख्यावास।
7. एनालिस्ट कम प्रोग्रामर मुख्यावास को भेजकर लेख है कि विभागीय वेबसाइट पर अपलोड एवं संबंधित को ई-मेल करने हेतु।
8. सहायक निदेशक (प्रचार), मुख्यावास को प्रेषित कर लेख है कि समाचार पत्रों में व्यापक प्रचार-प्रसार करवाया जाना सुनिश्चित करें।
9. निदेशक, माध्यमिक/प्रारम्भिक शिक्षा, बीकानेर, राज.।
10. संबंधित जिला कलेक्टर ....
11. संबंधित मुख्य कार्यकारी अधिकारी ....
12. उप निदेशक/जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक/प्रारम्भिक (समस्त)
13. संबंधित उपनिदेशक/सहायक निदेशक/जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग.......................
14. आदेश पत्रावली।

6/5/2015

(डॉ. हरसहाय मीणा)
अतिरिक्त निदेशक
(अनु.जाति एवं जन. जाति कल्याण)